**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 39**

**उत्तर देने की तारीखः 24.11.2014**

**विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था**

**39. श्री लाल सिंह वडोदियाः**

**क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(**क) क्या यह सच है कि देश के अधिकांश विद्यालयों में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन सभी विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था करने हेतु कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

**(**श्री उपेन्‍द्र कुशवाहा)

**(क) से (ग): जी नहीं, यूडीआईएसई 2013-14 के अनुसार, प्रारंभिक स्‍तर पर 95.31% स्‍कूलों और माध्‍यमिक स्‍तर पर 98.34% स्‍कूलों में पेयजल सुविधाएं हैं। इन सुविधाओं से रहित स्‍कूलों को कवर करने के लिए, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और राष्‍ट्रीय माध्‍यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) की राष्‍ट्रीय योजनाओं के तहत आज तक राज्‍य/संघ-राज्‍य क्षेत्रों को 2.48 लाख पेयजल सुविधाओं की संस्‍वीकृति प्रदान की गई है।**

**\*\*\*\*\***